न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. अशोक कुमार RAS

अपील संख्या : 68 / 2018

1. प्रहलाद राम मीणा पुत्र श्री नानगराम, जाति–मीणा, निवासी–नांगल सिरस, तहसील आमेर, हालनिवासी–2 / 233, न्यू विद्याधर नगर, जयपुर।
2. डॉ. ओमप्रकाश मीणा पुत्र श्री नानगराम, जाति–मीणा, निवासी–नांगल सिरस, तहसील–आमेर, हालनिवासी–2 / 233, न्यू विद्याधर नगर, जयपुर।

अपीलान्ट्स,

बनाम

1. सहायक भू–प्रबंध अधिकारी आमेर, हाल भू–प्रबंध विभाग, विमान भवन, जयपुर।
2. हेमचन्द पुत्र श्री भंवरलाल, निवासी–ग्राम राजावास, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर हालनिवासी–643 बोरडी का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर।
3. कंचन देवी बेवा भंवरलाल, निवासी–ग्राम राजावास, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर हालनिवासी–643 बोरडी का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर।
4. मंगलचंद जैन पुत्र श्री कालूराम जैन, निवासी–ग्राम राजावास, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर हालनिवासी–643 बोरडी का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर।
5. राजूलाल जैन पुत्र श्री कालूराम जैन, निवासी–ग्राम राजावास, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर हालनिवासी–643 बोरडी का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आमेर, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेंट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 एवं धारा 212 विरूद्ध राजस्थान टीनेन्सी एक्ट विरूद्ध आदेश सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, आमेर की पत्रावली सं0 49 में पारित निर्णय दिनांक 28.09.1985 के संबंध में।)

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश पारीक, अभिभाषक, अपीलान्ट्स की ओर से ।
2. श्री हेमन्त सोगानी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं0 2, 3 व 5 की ओर से।
3. पेरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 30.10.2019

यह अपील अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम नांगल सिरस स्थित आराजी ख0नं0 523 / 834 को सहायक भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.1985 से अनुसूचित जनजाति की भूमि बटा नं0 डालकर को गैर–अनुसूचित जनजाति के रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 के नाम विधि विरूद्ध तरीके से लगाये जाने के कारण प्रस्तुत की गई है।

Scanned by CamScanner

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जा कर रेस्पोडेन्ट्स को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये तथा मातहत न्यायालय सहायक भू-प्रबंध अधिकारी से प्रकरण से संबंधित मूल मिसल प्राप्त की गई।

प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा साबिक ख0नं0 256, 264 व 265 क्रय किये गये थे, जिसके भू-प्रबंध के दौरान नये ख0नं0 522, 523, 524, 528 कुल रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा बने, जिन्हे अपीलान्ट द्वारा दिनांक 26.11.1997 को क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया गया। ग्राम आमेर में भू-प्रबंध कार्यावधि जुलाई 1985 से जून 2009 में सम्पन्न हुई परन्तु अपीलान्ट्स के अन्य ख0नं0 में कोई परिवर्तन नही कर के केवल ख0नं0 265 जिसके हाल ख0नं0 528 ख0नं0 के बट्टा नं0 528/834 अलग से कायम करते हुए रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 के नाम अंकन कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि ग्राम आमेर में भू-प्रबंध कार्यावधि जुलाई 1985 से जून 2009 में सम्पन्न हुई इस दौरान अप्रार्थी सं0 1 को अप्रार्थी सं0 4 व 5 द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि उनके बडे भाई भंवरललाल जैन का स्वर्गवास हो गया है। अतः श्री भंवरलाल जैन के पत्नी व पुत्र का नाम पर्चे में दुरूस्त किया जावें। उक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर सहायक भू-प्रबंध अधिकारी द्वारा पत्रावली सं0 49/1985 में दिनांक 28.09.1985 को आदेश पारित कर ग्राम नांगलसिरस स्थित गत आराजी ख0नं0 266, 267, 268 व 269 के नवीन ख0नं0 537, 538 व 528/834 रकबा 9.15 हे0 भूमि पर भंवरलाल पुत्र कालूराम के स्थान पर हेमचंद पुत्र भंवरलाल एवं कंचनदेवी बेवा भंवरलाल जैन का नाम इन्द्राज किया गया है। अपीलान्ट्स मृतक भंवरलाल जैन के उत्तराधिकारी नही है, परन्तु फिर भी वादग्रस्त आदेश के विरूद्ध अपील पेश की गई है। अपीलान्ट्स विरासत का नामान्तरकरण में उत्तराधिकारियों के नाम तस्दीक करने की प्रक्रिया में नही आते है और वे अपीलाधीन आदेश से प्रभावित होने वाले पक्षकार की श्रेणी में नही आते है। अतः अपील अपीलान्ट् निरस्त योग्य है।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

विद्वान् अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा दौराने बहस कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं0 4 व 5 ने रेस्पोडेन्ट सं0 1 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके बडे भाई स्व0 श्री भंवरलाल जैन का स्वर्गवास दिनांक 15.05.1983 को होने पर उनके पुत्र व पत्नी के नाम पर्चे में दुरूस्त किया जावें। उनके द्वारा ख0नं0 266, 267, 268 व 269 बताये जिसके मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल ख0नं0 537, 538 है, परन्तु 537 व 538 के साथ 528/834 पर इन्द्राज कर दिया गया जिसमें अपीलान्ट्स का ख0नं0 528 के

Scanned by CamScanner

बटा नम्बर डाल दिया गया। ख0नं0 256, 264 व 265 अपीलान्ट्स द्वारा क्रय किये गये थे जिसके नये नम्बर 522, 523, 524 व 528 कुल किता 4 कुल रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा को अपीलान्ट्स की माता श्रीमती मंगेज देवी ने पूर्व खातेदार बोदया पुत्र भूरा मीणा से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.11.1997 को क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया था। उक्त भूमि के पूर्व खसरा नम्बरान का नामान्तरकरण सं0 5 दिनांक 15.06.1998 को अपीलान्ट्स के पक्ष में तस्दीक हो चुका था। क्रय करने के समय से अपीलान्ट्स काबिज व वादग्रस्त भूमि का उपयोग/उपभोग करते आ रहे है।

ग्राम आमेर में भू-प्रबंध कार्यावधि जुलाई 1985 से जून 2009 में सम्पन्न हुई परन्तु अपीलान्ट्स के अन्य ख0नं0 में कोई परिवर्तन नही कर के केवल ख0नं0 265 जिसके हाल ख0नं0 528 ख0नं0 के बटा नं0 अलग से कायम करते हुए रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 के नाम अंकन कर दिया जिसका भू-प्रबंध विभाग को बिना सक्षम आदेश के अधिकार नही है। भू-प्रबंध विभाग को केवल मात्र पूर्व के इन्द्राजात को रिपीट करने के अधिकार निहित है। भू-प्रबंध अधिकारी द्वारा ख0नं0 528 के बटा नं0 कायम करने से पूर्व अपीलान्ट्स को सुनवाई हेतु कोई नोटिस भी नही दिया गया है। ख0नं0 528/ 834 ख0नं0 265 का ही भाग है।

रेस्पोडेन्ट सं0 4 ने दिनांक 27.02.2018 को उपखण्ड अधिकारी, आमेर के यहां पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर और अपीलान्ट्स के पडौसी काश्तकार होने के नाते अपीलान्ट्स को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के यहां दिनांक 27.07.2018 को उपस्थित होने पर तथा कागजात की नकल निकलवाने पर अपीलान्ट्स को यह जानकारी हुई कि अपीलान्ट्स का रकबा कम होकर रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 के नाम उसका अंकन हो गया है।

अपीलान्ट्स अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 42 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति की भूमि किसी भी रूप में स्वर्ण जाति के व्यक्ति के पक्ष में न तो लगाई जा सकती है ना ही स्थानान्तरित की जा सकती है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों व लैण्ड रिकार्ड के प्रावधानों व उन पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किया जावें।

अपीलान्ट्स के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा मियाद के बिन्दु पर कथन किया कि हाल ख0नं0 528 जिसके पूर्व ख0नं0 265 है पर अपीलान्ट्स क्रय करने की दिनांक से वर्तमान तक काबिज काश्त चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट सं0 4 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के यहां पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र लगाने पर तथा पडौसी काश्तकार होने के कारण उन्हे नोटिस प्राप्त हुआ तथा भू-प्रबंध अधिकारी के आदेश की नकल

Scanned by CamScanner

दिनांक 30.07.2018 को मिलने पर उन्हे उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई। अतः जानकारी के दिन से ही प्रकरण अन्दर मियाद मानते हुए देरी को कण्डोन करते हुए अपील स्वीकार की जावें। वकील अपीलान्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये।

1. आर.आर.टी 2015 (2) पृष्ठ सं0 1214
2. आर.बी.जे. (5) 1998 पृष्ठ सं0 380
3. आर.आर.डी. 1983 पृष्ठ सं0 64
4. आर.आर.डी. 1993 पृष्ठ सं0 606
5. आर.आर.डी. 1994 पृष्ठ सं0 761
6. आर.आर.टी 2009 (1) पृष्ठ सं0 468
7. आर.एल.आर. 2000 (1) पृष्ठ सं0 326
8. आर.आर.टी 2013 (1) पृष्ठ सं0 125
9. आर.आर.टी 2006 (2) पृष्ठ सं0 1092
10. आर.बी.जे. 2016 पृष्ठ सं0 547

विद्वान् अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा दौराने बहस कथन किया कि ग्राम नांगलसिरस तहसील आमेर स्थित ख0नं0 266 रकबा 23 बीघा 1 बिस्वा, 267 रकबा 1 बिस्वा, 268 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा व ख0नं0 269 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 37 बीघा 3 बिस्वा भूमि श्री नवल किशोर चेला श्री दूदनाथ स्वामी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त भूमि थी। श्री नवल किशोर ने वादग्रस्त भूमि को दिनांक 14.04.1978 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र श्री भंवरलाल, मंगलचंद व राजूलाल पुत्रान् कालूराम जैन को विक्रय कर दी थी। जिसके आधार पर नामान्तरकरण सं0 68 दिनांक 24.10.1978 को तस्दीक किया जा कर उक्त भूमि को राजस्व भू–अभिलेखों में क्रेतागण के नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज की गई। खातेदार कृषक भंवरलाल जैन का देहान्त होने के समय आमेर क्षेत्र में बन्दोबस्त की कार्यवाही चल रही थी जिसके कारण सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, आमेर के समक्ष मंगलचंद जैन व राजूलाल जैन ने दिनांक 18.04.1995 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर तहसील आमेर स्थित साबिक ख0नं0 266, 267, 268 व 269 उनकी खातेदारी में दर्ज है को खातेदार भंवरलाल जैन का दिनांक 15.05.1983 को निधन होने पर उनके एक मात्र पुत्र हेमचंद एवं पत्नी के नाम पर्चा दुरूस्ती हेतु निवेदन किया गया। जिसके पश्चात् सहायक भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा भू–मापक से रिपोर्ट लेकर दिनांक 28.09.1985 को अपीलाधीन आदेश पारित कर खातेदार भंवरलाल के स्थान पर उनके पुत्र हेमचंद तथा पत्नी कंचनदेवी के नाम अंकित किये जाने के आदेश पारित किये गये है। अपीलान्ट्स द्वारा मृतक भंवरलाल

Scanned by CamScanner

जैन का उत्तराधिकारी होना जाहिर नही किया परन्तु फिर भी वादग्रस्त आदेश के विरूद्ध अपील पेश की गई है जबकि अपीलान्ट्स विरासत का नामान्तरकरण में उत्तराधिकारियों के नाम तस्दीक किये जाने की प्रक्रिया में नही आते है और वे अपीलाधीन आदेश से प्रभावित होने वाले पक्षकार की श्रेणी में नही आते है। अपीलान्ट्स द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई है उसमें अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति चाहे जाने बाबत् कोई आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया है। तृतीय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अपील को तब तक गुणावगुण पर परीक्षित करने का अपीलीय न्यायालय को अधिकार नही होता जब तक कि अपीलान्ट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति चाहे जाने बाबत् आवेदन स्वीकार करते हुए आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान ना कर दे। सहायक भू–प्रबंध अधिकारी ने दिनांक 28.09.1985 को पारित आदेश से ख0नं0 528/834 को रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 के नाम अंकित किये जाने के संबंध में कोई आदेश पारित नही किया है जिसे अपीलान्ट्स के अधिकार प्रभावित होते हो। अपीलान्ट्स का वादग्रस्त भूमि ख0नं0 528 व पूर्व ख0नं0 265 से किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नही है। अप्रार्थीगण की भूमि गत ख0नं0 266 उनके कब्जे व खातेदारी की भूमि है। जिसका भू–प्रबंध के दौरान हाल ख0नं0 528/834 रकबा 0.26 हे0 कायम किये गये है। अपीलान्ट्स द्वारा भू–प्रबंध अधिकारी के आदेश दिनांक 28.09.1985 के लगभग 33 वर्ष पश्चात् यह अपील प्रस्तुत की गई है। वादग्रस्त भूमि ख0नं0 266 जिसके हाल ख0नं0 528/834 है। अपीलान्ट्स की खातेदारी की भूमि कभी नही रही। अतः अपील अपीलान्ट्स निरस्त की जावें। वकील रेस्पोडेन्ट्स द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये।

1. आर.आर.टी 2013 (1) पृष्ठ सं0 546
2. 2008 (3) डी.एन.जे. (राज.) पृष्ठ सं0 1232
3. आर.आर.टी 2008 (1) पृष्ठ सं0 440

हमनें रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र सहित प्रकरण की उभयपक्षों की अन्तिम बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। सहायक भू–प्रबंध अधिकारी से प्राप्त मूल पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2019 को धारा 05 मियाद अधिनियम की बहस सुनकर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था। जिसके संदर्भ में रेस्पोडेन्ट हेमचंद वगै0 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी सं0 5232/2019 पेश की गई थी। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा इस न्यायालय द्वारा

Scanned by CamScanner

पारित निर्णय दिनांक 30.07.2019 को बहाल रखते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत निगरानी को एडमिशन स्टेज पर ही निरस्त कर दिया गया।

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, आमेर की पत्रावली सं0 49 के निर्णय दिनांक 28.09.1985 के विरूद्ध पेश की गई है। भू–प्रबंध विभाग से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गत खसरा नम्बर 266, 267, 268, 269 व हाल ख0नं0 537, 538, 528/834 किता 3 कुल रकबा 9.15 हे0 पर भंवरलाल, मंगलचंद, राजूलाल पुत्रान् कालूराम, जाति–महाजन, निवासी–राजावास खातेदार थे। सहायक भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.09.1985 द्वारा ख0नं0 537, 538, 528/834 कुल किता 3 कुल रकबा 9.15 हे0 पर भंवरलाल पुत्र कालूराम के स्थान पर हेमचंद पुत्र भंवरलाल जैन व कंचन देवी बेवा भंवरलाल जैन के नाम का इन्द्राजात किये जाने के आदेश पारित किये गये है। सहायक भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा अपने आदेश में विरासत के नामान्तरकरण के लिये आदेश पारित किये गये है। उनके द्वारा केवल प्रविष्टि को रिपीट किया गया है उसमे किसी प्रकार का संशोधन नही किया गया है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा रेस्पोडेन्ट के पास 9.15 हे0 भूमि होना अंकित किया है। जबकि वर्तमान रिकार्ड के अनुसार रेस्पोडेन्ट्स के पास 9.3900 हे0 भूमि है। इस प्रकार भू–प्रबंध अधिकारी की पत्रावली व वर्तमान रिकार्ड से तुलना करने पर 0.2400 हे0 भूमि अधिक होना पाया गया है। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार भूमि के अधिक होने तथा भू–प्रबंध विभाग में अंकित 9.15 हे0 भूमि के स्थान पर 9.3900 हे0 भूमि किस प्रकार रिकार्ड में परिवर्तन हुआ है इसकी जानकारी नही दी गई है। रिकार्ड के अनुसार ख0नं0 264 एवं 265 से ख0नं0 528 नवसृजित किये गये है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत किये गये नक्शे के अनुसार भी ख0नं0 528 का विभाजन कर 528/934 अंकित किया गया है जो कि स्पष्ट रूप से ख0नं0 528 का ही एक भाग है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साबिक खसरा नम्बरान 265 व 266 से नवसृजित खसरा नम्बरान 528 व 538 का मिलान करने पर यह स्पष्ट पाया गया है कि भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान गत ख0नं0 265 में से भूमि कम करते हुए हाल ख0नं0 528 में से ख0नं0 528/834 नवसृजित किये गये है। तत्समय यदि ख0नं0 528 के विभाजन की आवश्यकता थी तो भी भू–प्रबंध विभाग द्वारा बट्टे नम्बर के बजाय नये नम्बर अंकित किये जाने थे। सहायक भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा यदि अपीलान्ट्स के खसरे नम्बर का विभाजन करना था तो भी अपीलान्ट्स को नोटिस जारी कर सुनवाई कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, परन्तु सहायक भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये ही ख0नं0 528 का विभाजन कर नये ख0नं0 सृजित कर दिये गये। ख0नं0 528 अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि है जिसका विभाजन का अधिकार सहायक

Scanned by CamScanner

भू–प्रबंध अधिकारी का नही है। अपीलान्ट्स अनुसूचित जनजाति के खातेदार काश्तकार है तथा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 42 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को नही दी जा सकती है। सहायक भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा उसके अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जा कर ख0नं0 528 का विभाजन किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

उक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि सहायक भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि के ख0नं0 528 का विभाजन विधि–विरूद्ध तरीके से किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है तथा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, आमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.1985 अपास्त किया जाता है। अधीरथ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर

Scanned by CamScanner